

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-89/2024-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/ 2025

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-505(25) दिनांक-06.03.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता, विभागीय आदेश संख्या-656(2) दिनांक-25.04.2025 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में डा० सुषमा शिखा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को दिनांक-29.06.2025 से 14.01.2026 तक कुल 200 (दो सौ) दिनों की अवधि को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया जाता है।

2. उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० शिखा के पक्ष में 375 (तीन सौ पचहत्तर) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-89/2024-

1231(2)

पटना, दिनांक 21/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/डा० सुषमा शिखा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रशाखा पदाधिकारी, 05, 07, 10 एवं 18A पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।